

नागरिक चार्टर

दिनांक 21.02.2018

प्रशासन के एमएस अधिनियम, 1958 माध्यम से नौवहन निदेशालय एवं संबंधित कार्यालय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं नीचे निर्दिष्ट सभी संबंधित कार्यालय के नागरिक सदस्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन किया जाए ताकि भारतीय समुद्री कुशल तरीके से उद्योग एवं पूरे देश को अच्छी तरह से सेवा दे सकें।

एमएस अधिनियम, 1958 एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सूचित सभी सेवाएँ, जो नागरिकों द्वारा मांगी गयी थी, लेकिन प्रदान नहीं की गई तथा प्राथमिकता के आधार पर मांगी जाने पर उन्हें प्रदान की गयी, उन सेवाओं को उल्लिखित किया गया है।

1. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

अनुभाग	मद संख्या	सेवाओं एवं कार्य का नाम	अपेक्षित समय
नौवहन विकास	1	चार्टर अनुमति को जारी करना	02 दिन
कू	1	मृतक समुद्रकर्मियों के आगामी परिजनों द्वारा अपेक्षित विवरण का उनके प्रतिनिधियों द्वारा निपटान	15 दिन
	2	सी.डी.सी. मामलों संबंधित निपटान..	02 दिन
बहुप्रतिमान ऑपरेटर (एम टी ओ)	1	बहुप्रतिमान परिवहन एवं माल (एम एम टी जी) अधिनियम 1993 के अंतर्गत एम टी ओ को मान्यता	20 दिन
	2	एम टी ओ को नवीकरण मान्यता	20 दिन
प्रशिक्षण	1	प्रधान अनुमोदन पूर्व समुद्र एवं पोस्ट समुद्र प्रशिक्षण संस्थान के लिए .	30 दिन
	2	पूर्व समुद्र एवं पोस्ट समुद्री पाठ्यक्रम का अनुमोदन जो समुद्री प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अनुमोदित है।	45 दिन